# पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, पटना-800001

## निगम पर्षद की 08वीं( आठवीं ) साधारण बैठक की कार्यवाही

दिनांक :- 08-02-2025

समय :- 12:30 बजे अपराह्न

स्थान :- मौर्या होटल, गाँधी मैदान, पटना।

| | | |
|---|---|---|
| अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से. | रेशमी कुमारी | सीता साहू |
| नगर आयुक्त | उप-महापौर | महापौर |
| पटना नगर निगम | पटना नगर निगम | पटना नगर निगम |

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

CITY OF PATNA

Letter No./ पत्रांक: 8789
Date / दिनांक 17/06/2025

दिनांक-08.02.2025 को आहूत निगम पर्षद की आठवीं( 8वीं ) साधारण बैठक माननीया महापौर, श्रीमती सीता साहू की अध्यक्षता में हुई। जिसमें निम्नांकित माननीया/माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया, जिनकी उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

1. श्रीमती सीता साहू - **महापौर, पटना नगर निगम।**
2. श्रीमती रेशमी कुमारी - उप महापौर, पटना नगर निगम।
3. श्रीमती कावेरी सिंह - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
4. डा0 आशीष कु0 सिन्हा - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
5. श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी - सदस्य,सशक्त स्थायी समिति।
6. श्री मनोज कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
7. श्री बिनोद कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
8. श्रीमती छठिया देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-01
9. श्रीमती बबीता देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-02
10. श्रीमती प्रभा देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-03
11. श्रीमती उषा देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-04
12. श्रीमती दीपारानी खान - पार्षद, वार्ड संख्या-05
13. श्रीमती धनराज देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-06
14. श्री अमर कुमार - पार्षद, वार्ड संख्या-07
15. श्रीमती रीता रानी - पार्षद, वार्ड संख्या-08
16. श्री आशीष कु0 शंकर - पार्षद, वार्ड संख्या 09
17. श्रीमती गीता देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-10
18. श्री रवि प्रकाश - पार्षद, वार्ड संख्या-11
19. श्रीमती सविता सिन्हा - पार्षद, वार्ड संख्या-12
20. श्री जीत कुमार - पार्षद, वार्ड संख्या-13
21. श्री शशि भूषण - पार्षद, वार्ड संख्या-15
22. श्री जय प्रकाश सिंह - पार्षद, वार्ड संख्या-16
23. श्रीमती सोनी देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-17
24. श्रीमती शारदा देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-19
25. श्रीमती भारती कुमारी - पार्षद, वार्ड संख्या-20
26. श्रीमती श्वेता रंजन - पार्षद, वार्ड संख्या-21
27. श्रीमती अनिता देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-22
28. श्रीमती सुशीला कुमारी - पार्षद, वार्ड संख्या-22(ए)

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर

Maurya Lok Complex, Budha Marg, Patna, Bihar- 800001, T- +91-612-2200691, E- patnamc-mc-bih@gov.in, pmc.bihar.gov.in
facebook.com/cityofpatna, twitter.com/cityofpatna, instagram.com/cityofpatna, youtube.com/cityofpatna, 947 222 3909

29. श्रीमती सुचित्रा सिंह - पार्षद, वार्ड संख्या-22(बी)
30. श्रीमती अनिता देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-22(सी)
31. श्रीमती कुमारी सारिका - पार्षद, वार्ड संख्या-23
32. श्री रजनीकान्त - पार्षद, वार्ड संख्या-25
33. श्रीमती रानी कुमारी - पार्षद, वार्ड संख्या-27
34. श्री विनय कुमार - पार्षद, वार्ड संख्या-28
35. श्री विकास कुमार - पार्षद, वार्ड संख्या-29
36. श्रीमती राधा शर्मा - पार्षद, वार्ड संख्या-31
37. श्रीमती पिंकी यादव - पार्षद, वार्ड संख्या-32
38. श्री कुमार संजीत - पार्षद, वार्ड संख्या-34
39. श्री राजकुमार गुप्ता - पार्षद, वार्ड संख्या-35
40. श्री राजकुमार शर्मा - पार्षद, वार्ड संख्या-36
41. श्री संजीव आनन्द - पार्षद, वार्ड संख्या-37
42. श्री राहुल यादव - पार्षद, वार्ड संख्या-39
43. श्रीमती किरण देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-41
44. श्री कैलाश प्र0 यादव - पार्षद, वार्ड संख्या-42
45. श्री आशीष चन्द्र यादव - पार्षद, वार्ड संख्या-44
46. श्रीमती प्रभा देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-45
47. श्रीमती पूनम शर्मा - पार्षद, वार्ड संख्या-46
48. श्री सतीश कुमार - पार्षद, वार्ड संख्या-47
49. श्रीमती सीमा वर्मा - पार्षद, वार्ड संख्या-49
50. श्री ज्योति रंजन दास - पार्षद, वार्ड संख्या-51
51. श्रीमती किरण मेहता - पार्षद, वार्ड संख्या-53
52. श्री बिनय कुमार - पार्षद, वार्ड संख्या-54
53. श्री कंचन कुमार - पार्षद, वार्ड संख्या-55
54. श्रीमती किस्मती देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-56
55. श्रीमती गायत्री गुप्ता - पार्षद, वार्ड संख्या-57
56. श्रीमती श्वेता कुमारी - पार्षद, वार्ड संख्या-58
57. श्रीमती नीलम कुमारी - पार्षद, वार्ड संख्या-59
58. श्रीमती शोभा देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-60
59. श्रीमती उषा देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-61
60. श्रीमती तारा देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-62
61. श्री फैजुर रहमान खान - पार्षद, वार्ड संख्या-63

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

62. श्रीमती आबदा कुरैशी - पार्षद, वार्ड संख्या-64

63. श्रीमती तरूणा राय - पार्षद, वार्ड संख्या-65

64. श्रीमती कान्ति देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-66

65. श्रीमती सुनीता देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-68

66. श्री मनोज मेहता - पार्षद, वार्ड संख्या-69

67. श्रीमती अंजली राय - पार्षद, वार्ड संख्या-71

68. श्रीमती संध्या यादव - पार्षद, वार्ड संख्या-72

<u>निगम प्रशासन</u>

01. श्री अनिमेष कुमार पराशर (भा.प्र.से.) -नगर आयुक्त, पटना नगर निगम

02. श्री राजन सिन्हा (बि.पु.से.) - अपर नगर आयुक्त

03. डा0 शशि शेखर -संयुक्त नगर आयुक्त

04. श्री रामाशीष शरण तिवारी - उप-नगर आयुक्त, सह- नगर सचिव

05. श्री कन्हैया कुमार - उप-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम

06. श्री ज्योत प्रकाश - उप-नगर आयुक्त, स्थापना

07. श्री प्रभात रंजन -कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल

08. श्रीमती पुण्य तरू - कार्यपालक पदाधिकारी, पाटलिपुत्र अंचल

09. श्री गंगाकान्त ठाकुर - कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल

10. श्री निखिल कुमार - कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल

11. श्री आशुतोष कुमार - कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल

12. सुश्री श्रेया कश्यप - कार्यपालक पदाधिकारी, अजीमाबाद अंचल

13. श्री रत्नेश कुमार रमण - मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम

14. श्री सुशील कुमार झा - निदेशक, शहरी योजना, पटना नगर निगम

15. श्री अनिल कुमार - कार्य0अभि0, नगर विकास प्रमंडल,जलापूर्ति

16. श्री बिभूति चन्द्र - कार्यपालक अभियंता, कंकड़बाग/बाँ0अं0 प्रमंडल

17. श्री बब्लू कु0 गुप्ता - कार्यपालक अभियंता, विद्युत

18. श्री अवधेश कु0 सिंह - निजी सहायक

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

**अध्यक्ष** :- बैठक में उपस्थित उप-महापौर/सशक्त स्थायी समिति के सदस्यगण, सभी पार्षद, नगर आयुक्त/ सभी पदाधिकारीगण एवं मीडिया कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन है। बैठक की कार्रवाई शुरू करें।

सीता साहू

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- निगम पर्षद की आठवीं साधारण बैठक में माननीया महापौर महोदया, उप-महापौर, सदस्य, सशक्त स्थायी समिति एवं सभी पार्षदों का स्वागत है। नगर सचिव, बैठक के एजेंडा को बतायें।

श्री सतीश कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सदन से मेरा अनुरोध है कि पार्षदों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति या प्रतिनिधि कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा में उपस्थित नहीं रहेंगे।

श्री कैलाश प्र0 यादव:- माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ।

मद संख्या- 01 :- **दिनांक-09.10.2024 को आहूत निगम पर्षद की सातवीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**

अध्यक्ष :- कार्यवाही सम्पुष्टि का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री सतीश कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्री बिनय कुमार( वार्ड-54):माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-101 :- **सर्वसम्मति से दिनांक-09.10.2024 को आहूत निगम पर्षद की सातवीं साधारण बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाता है।**

मद संख्या-02 :- **वार्ड संख्या-68 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

| SNo. | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| 1 | Construction of High Yield Tube Well at Karmalichak in Ward No.-68 | 1,36,46,800.00 |

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से पारित कर स्वीकृति हेतु निगम पर्षद के समक्ष रखा गया है।

श्री राजकुमार गुप्ता :– माननीया अध्यक्ष महोदया, आम लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री कैलाश प्र0 यादव :– माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, वार्ड संख्या–68 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन से वार्ड– 68 की जनता को काफी लाभ होगा, इसे पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या–102 :– **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Construction of High Yield Tube Well at Karmalichak in Ward No.-68, जिसकी प्राक्कलित राशि 1,36,46,800.00 रू0 है, की प्रशासनिक स्वीकृति निगम पर्षद द्वारा प्रदान की जाती है।**

श्रीमती पिंकी यादव :– माननीया अध्यक्ष महोदया, पिछले कई महीनों से मैं अपने वार्ड में हाईयील्ड बोरिंग के लिए लिखा था। महापौर महोदया एवं नगर आयुक्त को प्रेषित की हूँ लेकिन मेरे वार्ड के बोरिंग का प्रस्ताव इस बैठक में भी नहीं आया है। कई वार्डो के बोरिंग का प्रस्ताव आज की कार्यसूची में है, यह अच्छी बात है। मेरे वार्ड के चांगर में बोरिंग का प्रस्ताव दिया था। क्या हमारे वार्ड के लोगों को पेय जल की आवश्यकता नहीं है? महापौर महोदया, वार्ड संख्या–32 की जनता द्वारा आपको वोट दिया गया होगा। उस पर भी आप ख्याल रखतीं। फुलवारी के विधायक श्री गोपाल रविदास जी है, उन्होंने भी पेय जल की बात उठायी है।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :– माननीया अध्यक्ष महोदया, समावेशी विकास के बिना निगम का मात्रचित्र नहीं बदल सकता है। इसे पूरा करने की आवश्यकता है। जिस वार्ड में बोरिंग तकनीकी कारणों से नहीं आया है। उसे अगली बैठक में रखा जायेगा।

श्रीमती पिंकी यादव :– माननीया अध्यक्ष महोदया, आपको स्मरण होगा कि श्री आशीष जी ने 24.09.2020 को गाँधी मैदान में चार वर्ष पहले यही आश्वासन दिया गया था कि आपके वार्ड में बोरिंग सीघ्र हो जाएगा।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :– माननीया सदस्य को बताना चाहता हूँ कि कुछ मामलों में इसलिए देरी हो जाती है कि तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति समय पर नहीं मिल पाती है।

श्री रवि प्रकाश :– माननीया अध्यक्ष महोदया, आज कई वार्डो में जलापूर्ति योजनाएँ पारित हो रही है। इसकी हमें खुशी है, लेकिन मेरे वार्ड में हाईयील्ड बोरिंग का कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ है।

नगर आयुक्त :– माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन में शांति बनाए रखें। तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद बोरिंग लगाने की कार्रवाई की जायेगी।

श्री रवि प्रकाश :– नगर आयुक्त महोदय, चार वर्ष होने जा रहा है। मेरे वार्ड में हाईयील्ड बोरिंग का कार्य नहीं हो सका है।

श्रीमती नीलम कुमारी :– माननीया अध्यक्ष महोदया, हमारे वार्ड में बोरिंग हो चुका है, लेकिन उसे चालू करने के लिए बिजली विभाग से कनेक्शन जोड़ने की आवश्यकता है।

नगर आयुक्त :– कार्यपालक अभियंता, जलापूर्ति विद्युत विभाग के अभियंता से सम्पर्क कर कनेक्शन जोड़ने की कार्रवाई करें।

श्रीमती रानी कुमारी :– माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरे वार्ड में बोरिंग का काम हो चुका है। पेमेंट नहीं होने के कारण काम रूका हुआ है। मेरा सुझाव है कि जहाँ–जहाँ कार्य पूरा हो गया है, राशि का आवंटन भेजा जाय।

श्री बिनय कुमार(वार्ड–54) :– माननीया अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सदस्यों से अनुरोध है कि पहले कार्यसूची पर चर्चा किया जाय।

श्रीमती पिंकी यादव :– नगर आयुक्त, माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जिन योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हो गयी है, जैसे वार्ड संख्या–32 एवं वार्ड संख्या–28 को सम्मिलित करते हुए सदन इसकी स्वीकृति दें।

श्री कुमार संजीत :– माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं 2007 से पार्षद हूँ लेकिन अभी तक मेरे वार्ड में एक भी बोरिंग नहीं लगा है। गंगा देवी महिला कॉलेज के लिए बोरिंग की मांग की गई। लेकिन अभी तक क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। हम सभी पार्षद निर्दलिय चुनाव जीत कर आयें है किसी पार्टी से नहीं। मेरा मानना है सभी वार्डों में काम होना चाहिए।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-03:- **वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत रामकृष्णा नगर बैंक ऑफ इंडिया के पास बुद्धिजीवी कॉलनी में जलापूर्ति पम्प (हाई यील्ड बोरिंग) लगाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

| SNo. | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| 1 | Construction of High Yield Tube Well Ram Krishna Nagar, Near Bank of India Colony , Buddhijivi Colony at Ward No-30 | 1,36,46,800.00 |

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा पारित कर निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्री सतीश कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-30 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है। यह जनहित का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनय कुमार(वार्ड-54) :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, वार्ड संख्या-30 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन से वार्ड- 30 की जनता को काफी लाभ होगा, इसे पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-103 :- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **Construction of High Yield Tube Well Ram Krishna Nagar, Near Bank of India Colony, Buddhijivi Colony at Ward No-30,** जिसकी प्राक्कलित राशि 1,36,46,800.00 रू0 है, की प्रशासनिक स्वीकृति निगम पर्षद द्वारा प्रदान की जाती है।</u>

मद संख्या-04 :- वार्ड संख्या- 62 के सती चौरा में उच्च प्रवाह नलकूप अधिष्ठापन के संबंध में।

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- **हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वियन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

| S. No | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| 1 | Construction of High Yield Tube Well at Near Jallawale Hanuman Mandir Begampur in Ward No.-62 | 1,36,46,800.00 |

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्रीमती किरण मेहता :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री फैजूर रहमान :- माननीया अध्यक्ष महोदया, गर्मी के मौसम को देखते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–104 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **Construction of High Yield Tube Well at Near Jallawale Hanuman Mandir Begampur in Ward No.-62,** जिसकी प्राक्कलित राशि 1,36,46,800.00 रू0 है की प्रशासनिक स्वीकृति निगम पर्षद द्वारा प्रदान की जाती है।

मद संख्या–05:- **Construction of High Yield Tubewell at North-West Corner of Patliputra Sports Complex Ground and Infront of Medanata Hospital Gate No. 04 In Ward no-34 के संबंध में।**

अध्यक्ष **हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वियन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

महापौर
पटना नगर निगम

| S. No | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| 1 | **Construction of High Yield Tubewell at North-West Corner of Patliputra Sports Complex Ground and Infront of Medanata Hospital Gate No. 04 In Ward no-34** | 1,36,46,800.00 |

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से पारित कर निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्री विकास कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री राजकुमार गुप्ता :– माननीया अध्यक्ष महोदया, गर्मी के मौसम को देखते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–105 :– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **Construction of High Yield Tubewell at North-West Corner of Patliputra Sports Complex Ground and Infront of Medanata Hospital Gate No. 04 In Ward no-34**, जिसकी **प्राक्कलित राशि 1,36,46,800.00 रू0 है की प्रशासनिक स्वीकृति** निगम पर्षद द्वारा प्रदान की जाती है।

**मद संख्या–06:– वार्ड संख्या–22 के अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन के संबंध में।**

नगर आयुक्त :– पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

| S. No | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| 1 | **Construction of High Yield Tubewell at Sri Radhakrishna Purani Mandir, Satsang Dham Campus Anandpuri at ward No-22** | 1,36,46,800.00 |

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

श्री कुमार संजीत :– माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री कैलाश प्र0 यादव :– माननीया अध्यक्ष महोदया, गर्मी के मौसम को देखते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–106 :– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **Construction of High Yield Tubewell at Sri Radhakrishna Purani Mandir, Satsang Dham Campus Anandpuri at ward No-22,** जिसकी प्राक्कलित राशि 1,36,46,800.00 रू0 है की प्रशासनिक स्वीकृति निगम पर्षद द्वारा प्रदान की जाती है।

मद संख्या-07 :- **दिनांक-28.10.2021 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 52वीं साधारण बैठक के मद संख्या-02, प्रस्ताव संख्या-643 में पारित प्रस्ताव के आलोक में नन्द गोला घाट पर स्वीकृत शवदाह गृह के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 1,09,25,344.185 रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

**श्री सतीश कुमार :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव के तकनीकी अनुमोदन की प्रक्रिया करते हुए इसे पारित किया जाय।

**श्री कैलाश प्र0 यादव :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव सही है, इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

श्री राजकुमार गुप्ता :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त हो चुका है। अतः इस योजना का प्रशासनिक स्वीकृति दिया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-107 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नन्द गोला घाट पर स्वीकृत शवदाह गृह के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 1,09,25,344.185 रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति निगम पर्षद द्वारा प्रदान की जाती है।**

महापौर
पटना नगर निगम

**मद संख्या-08 :- एक करोड़ की योजना की सूची अविलम्ब उपस्थापित करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- पुराने एक करोड़ की योजना जो चल रहें है उसे शीघ्र पूर्ण किया जाए एवं योजना से शेष बचे राशि का आवंटन कर नये एक करोड़ योजना पर अतिशीघ्र कार्रवाई किया जाय।

**मद संख्या-09 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Mission Total Segregation कार्य में मोबिलाईजर के रूप में संलग्न Self-help groups(SHGs) की महिलाओं को पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में।**

अध्यक्ष :- मोबिलाईजर के रूप में संलग्न Self-help groups(SHGs) की महिलाओं को पारिश्रमिक भुगतान का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सभी 75 वार्डो में प्रत्येक आवासीय निकायो से अलग-अलग कचरा संग्रहण हेतु प्रशिक्षण दिया गया था। इस कार्य हेतु Self-help groups(SHGs) की महिलाओं से कार्य लिया जा रहा है। विभागीय पत्रांक-03/ SBM-01-13/2016-1352/ न0वि0एवं आ0वि0, दिनांक-28.05.2016 द्वारा मोबलाईजर के रूप में कार्यरत महहिलाओं को 200/- प्रति दिन भुगतान किया जाना है। जिसपर लगभग 75,000/- रू0 प्रति दिन व्यय होंगे। SHGs) Group की महिलाओं को पारिश्रमिक भुगतान के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद के समक्ष निर्णय हेतु रखा गया है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

**डा0 आशीष कु0 सिन्हा** :- माननीया अध्यक्ष महोदया, अभी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। इस कार्य के लिए डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए नागरिकों को जागृत कराना है। सरकार के द्वारा इन्हें 200/- रू0 प्रतिदिन के दर पर भुगतान करने का आदेश था। जिसे सशक्त स्थायी समिति की बैठक में बताया गया कि 200/- बहुत कम है, अतएव मंगाई हो देखते हुए एक सौ रू0 की और बढ़ोत्तरी की जाय। इस प्रकार इन्हें

महापौर
पटना नगर निगम

300 /- प्रतिदिन के दर से भुगतान करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है। यह प्रस्ताव निगमहित में है। इसे पारित किया जाय।

**श्री कुमार संजीत :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम क्षेत्र में SHGs Group की महिलाओं द्वारा कचरा संग्रहण के बारे में बताया जा रहा है। यह अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन उनकी मजदूरी बहुत कम है। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-108 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Mission Total Segregation कार्य में मोबिलाईजर के रूप में संलग्न Self-help groups(SHGs) की महिलाओं को प्रतिदिन 300/-(तीन सौ रू0) पारिश्रमिक भुगतान के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए इनकी अवधि विस्तार 31 मार्च 2025 तक की जाती है।**

मद संख्या-10:- **पर्यावरण एवं बागवानी शाखा को सुदृढ़ करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- पर्यावरण एवं बागवानी शाखा को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण एवं बागवानी (Environment & Horticulture) मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं बागवानी शाखा का गठन किया गया है।

वर्तमान समय में प्रदूषण नियंत्रण के उदेश्य से पर्यावरण एवं बागवानी से संबंधित कार्य विभिन्न शाखाओं द्वारा किया जा रहा है। प्रदूषण से संबंधित मामलें को देखते हुए इसपर नियंत्रण हेतु एक वृहत कार्य योजना तैयार करने हेतु पर्यावरण एवं बागवानी शाखा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जिसकी स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से पारित कर निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

**डा0 आशीष कु0 सिन्हा :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, पूर्व में नगर निगम में बागवानी शाखा था एवं उस शाखा की देख भाल के लिए सरकार से उद्यान पदाधिकारी(Horticulture Officer) की प्रतिनियुक्ति भी हुई

महापौर
पटना नगर निगम

थी। जो निगम क्षेत्र के पार्कों का रख-रखाव करते थे। मेरा सुझाव है यह व्यवस्था पुनः लागू किया जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-109 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पर्यावरण एवं बागवानी शाखा को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-11:- **वार्ड संख्या-15 के सभी मोहल्लों में जलापूर्ति के लिए हाई यील्ड बोरिंग लगाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- हाई यील्ड बोरिंग लगाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विभिन्न वार्डो में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पाईप लाईन विस्तार की आवश्यकता महसूस की गई है।
पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

| S. No | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| 1 | Construction of High Yield Tube Well at Backside of Yarpur Dom Khana in Ward No.-15 | 1,36,46,800.00 |

उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से पारित कर निगम पर्षद के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री सतीश कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आम लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री राज कुमार गुप्ता:- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, वार्ड संख्या-15 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन से वार्ड- 15 की जनता को काफी लाभ होगा, इसे पारित किया जा सकता है।

श्रीमती किरण मेहता :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-110 :- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-15 के क्षेत्रान्तर्गत जलापूर्ति के लिए हाईयील्ड बोरिंग लगाने के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति निगम पर्षद द्वारा प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-</u>

| S. No | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| 1 | Construction of High Yield Tube Well at Backside of Yarpur Dom Khana in Ward No.-15 | 1,36,46,800.00 |

मद संख्या-12 :- **Corporate Social Responsibility (CSR) गतिविधि के तहत अनुदान के संबंध में।**

अध्यक्ष :- Corporate Social Responsibility (CSR) गतिविधि के तहत अनुदान का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- Ministry of corporate Affairs, Govt Of India द्वारा पटना नगर निगम को CSR गतिविधियों के तहत Registration No-CSR0081358 द्वारा पंजीकृत किया गया है। जिसके आलोक में विभिन्न संस्थानों से विकासात्मक कार्यो हेतु CSR के माध्यम से अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। उक्त के क्रम में HUDCO द्वारा CSR के माध्यम से प्राप्त होने वाले अनुदान से मौर्यालोक कॉम्पलेक्स में दो चक्का वाहन हेतु ऑटोमैटेड वाहन पार्किंग का निर्माण कराया जाना है। एक अद्द ऑटोमेटेड पार्किंग में 96 दो चक्का वाहन लगाया जा सकता है।

उक्त के आलोक में तीन अद्द ऑटोमेटेड दो चक्का वाहन पार्किंग लगवाने पर होने वाले व्यय HUDCO से CSR मद में प्राप्त राशि से करने व शेष व्यय निगम निधि में उपलब्ध राशि से करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

श्री विनय कुमार( वार्ड-54 ) :- माननीया अध्यक्ष महोदया, लोग दो चक्का वाहनों को यत्र-तत्र खड़ा कर देते हैं, उससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। ऑटोमेटेड पार्किंग बन जाने से वाहनों को रखने में सुविधा होगी एवं जाम की समस्या से निजात मिलेगी। परन्तु इस योजना पर कुल

महापौर
पटना नगर निगम

कितनी राशि व्यय होगी, यह स्पष्ट नहीं है? और इस योजना में HUDCO ( CSR) से इस मद में कितनी राशि प्राप्त होगी तथा निगम मद से कितनी राशि खर्च करनी होगी? इसका उल्लेख नहीं है।

अतः पूर्ण विवरण के साथ अगली बैठक में रखा जाय।

श्री कैलाश प्र0 यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। मेरा सुझाव है कि निगम को कितनी राशि **CSR** मद से प्राप्त होगी? और कितनी राशि निगम मद से खर्च करना होगा। पुनः पूर्ण विवरण के साथ संलेख सशक्त स्थायी समिति के माध्यम से अगली बैठक में रखा जाय।

प्रस्ताव संख्या-111 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत प्राप्त अनुदान से 03 अदद ऑटोमेटेड दो चक्का वाहन पार्किंग निर्माण पर कुल कितने व्यय होंगे तथा CSR से कितनी राशि प्राप्त होगी एवं निगम मद से कितनी राशि खर्च करनी होगी, पूर्ण विवरण के साथ संलेख अगली बैठक में रखने हेतु निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-13 :- वार्ड संख्या-29 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त:- पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विभिन्न वार्डों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु हाई यील्ड बोरिंग योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई है।

पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

| S. No | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|

महापौर
पटना नगर निगम

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Construction of High Yield Tube Well at Near Old Pump House Karbigahiya in Ward No.-29 | 1,36,46,800.00 |

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से प्राप्त कर निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

**श्रीमती श्वेता रंजन** :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-29 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जा सकता है।

**श्रीमती प्रभा देवी( वार्ड-03 ) :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-112 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-29 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-**

| S. No | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| 1 | Construction of High Yield Tube Well at Near Old Pump House Karbigahiya in Ward No.-29 | 1,36,46,800.00 |

मद संख्या-14 :- **वार्ड संख्या-44 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विभिन्न वार्डो में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु हाई यील्ड बोरिंग योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई है।

पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

| S. No | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| 1 | Construction of High Yield Tube Well at Vidyapuri Park Kankarbagh in Ward No.-44 | 1,36,46,800.00 |

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त सशक्त स्थायी समिति से पारित कर निगम पर्षद के समक्ष विमर्श /निर्णय हेतु रखा गया है।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-44 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जा सकता है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-113 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-44 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-**

| S. No | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| 1 | Construction of High Yield Tube Well at Vidyapuri Park Kankarbagh in Ward No.-44 | 1,36,46,800.00 |

मद संख्या-15 :- **वार्ड संख्या-47 अन्तर्गत ओल्ड पम्प हाउस रामपुर साई चौक के निकट हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त:- पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विभिन्न वार्डों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु हाई यील्ड बोरिंग योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई है।

पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

| S. No | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| 1 | Construction of High Yield Tube Well at Near Old Pump House Rampur Sai Chowk in Ward No.-47 | 1,36,46,800.00 |

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से पारित कर निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-47 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जा सकता है।

महापौर
पटना नगर निगम

**श्री बिनोद कुमार** :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-114:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-47 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-**

| S. No | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| 1 | Construction of High Yield Tube Well at Near Old Pump House Rampur Sai Chowk in Ward No.-47 | 1,36,46,800.00 |

मद संख्या- 16 :- **वार्ड संख्या-56 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के संबंध में।**

**अध्यक्ष** :- हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्तः- पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विभिन्न वार्डो में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु हाई यील्ड बोरिंग योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई है।

पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वहाँ के आमलोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु निवेदित किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है।

| S. No | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| 1 | Construction of High Yield Tube Well Devi Asthan Rashidachuk in Ward No.-56 | 1,36,46,800.00 |

वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से पारित कर निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-56 में हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जा सकता है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-115 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-56 अन्तर्गत हाईयील्ड बोरिंग अधिष्ठापित करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-**

| S. No | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| 1 | Construction of High Yield Tube Well Devi Asthan Rashidachuk in Ward No.-56 | 1,36,46,800.00 |

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-17 :- **दिनांक- 20.11.2024 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रधानमंत्री एकता मॉल के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए हस्तान्तरण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री एकता मॉल निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रधानमंत्री एकता मॉल के निर्माण हेतु चयनित उक्त भूमि बिहार एवं उड़ीसा गजट जुलाई 1920 की अधिसूचना संख्या-4542, दिनांक- 07.07.1920 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राजापुर, ढ़कनपुरा और मैनपुरा मौजा के विभिन्न खेसरों की अधिग्रहित कुल-31 बीघा 07 चित्तक में से बोरिंग रोड स्थित ए0एन0 कॉलेज एवं पानी टंकी के नजदीक 10.255 एकड़ भूमि पटना बाँकीपुर जल कार्य हेतु पटना एडमिनिस्ट्रेशन कमिटि अब पटना नगर निगम को दी गयी है। वर्तमान में उक्त भूमि पर पटना नगर निगम का डम्पिंग यार्ड एवं कर्मचारियों का आवास निर्मित है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-636, दिनांक-12.03.1991 की कंडिका (क) के अनुसार राज्य सरकार के विभागों, बोर्ड , निगम, निकाय, प्राधिकार आदि के कार्यालय भवन /आवासीय भवन निर्माण के लिए सरकारी/खास महाल की जमीन की बन्दोबस्ती अस्थायी स्थानान्तरण निःशुल्क किये जाने का प्रावधान है।

अतः सचिव उद्योग विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्रांक-4649, दिनांक-28.11.2024 के आलोक में प्रधानमंत्री एकता मॉल निर्माण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति से पारित कर निगम पर्षद के समक्ष विमर्श/निर्णय हेतु रखा गया है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह अच्छा प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री एकता मॉल बनाने का प्रस्ताव निगमहित में है। इस प्रस्ताव को सशर्त्त पारित किया जा सकता है कि उद्योग विभाग दो तल भवन अपने खर्च से बनाकर पटना नगर निगम को देगा।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-116 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम स्थित विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रधानमंत्री एकता मॉल के निर्माण हेतु ए०एन० कॉलेज, पानी टंकी के निकट संलेख के अनुसार कुल 3.39 एकड़ भूमि पर एकता मॉल बनाने एवं भूखंड के एवज में सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं महापौर महोदया से हुई वार्त्ता के आलोक में उक्त मॉल के बगल में निगम को दो मंजिला भवन तैयार कर निगम को सौपेंगे, इस शर्त्त के साथ प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद संख्या-18:- **पटना नगर निगम अन्तर्गत सभी अंचलों में सम्पत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क एक साथ कर निर्धारण करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- सम्पत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क एक साथ करके कर निर्धारण करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम अन्तर्गत सभी क्षेत्रों का संपत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क को एक साथ करके कर सम्पत्ति धारकों द्वारा स्वयं ऑन लाईन के माध्यम से कर निर्धारण किये जाने हेतु Software प्रभावी है। परन्तु पटना नगर निगम के सभी अंचलों/मुख्यालय में अधिष्ठापित कर संग्रहण कांउन्टरों पर यह सुविधा पूर्व से लागू नहीं है। जिसके कारण निगम कांउन्टरों पर सर्वप्रथम सम्पत्ति कर का निर्धारण हो रहा है और इसका कागजातों की जाँच करने के बाद पी०आई०डी० निर्धारण करने के पश्चात ठोस कचरा शुल्क का निर्धारण किया जाता है।

पटना नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र के सभी अंचलों एवं मुख्यालयों में अधिष्ठापित कर संग्रहण कांउन्टरों पर सम्पत्ति कर एवं ठोस कचरा शुल्क का कर निर्धारण एक साथ किये जाने हेतु एक Software का निर्माण किया गया है, जिसे प्रभावी किया जाना आवश्यक है। ताकि सम्पत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क का कर निर्धारण एक साथ निगम द्वारा अधिष्ठापित कांउन्टरों पर पदस्थापित डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के द्वारा किया जा सके। जिसकी स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से पारित कर निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सम्पत्ति कर और ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क दोनों अलग-अलग विषय है। बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 के तहत धारा-127 में सम्पत्ति कर का निर्धारण करते है, जबकि धारा-128 में हम कचरा शुल्क की वसूली करते है। दोनों को एक साथ करने पर आगे चलकर समस्या होगी। मेरा सुझाव है कि सम्पत्ति कर के साथ कचरा शुल्क का निर्धारण नहीं किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0चन्द्रवशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मेरा सुझाव है कि सम्पत्ति कर के साथ कचरा शुल्क का निर्धारण नहीं किया जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-117:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम अन्तर्गत सभी अंचलों में सम्पत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क को एक साथ नहीं लेकर, अलग-अलग निर्धारण करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-19 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कचरा को अन्यत्र फेकने वालों के विरूद्ध अर्थदण्ड/पेनाल्टी की राशि 5000(पाँच हजार) रूपये अधिरोपित करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कचरा को अन्यत्र फेंकने वालों के विरूद्ध अर्थदण्ड/पेनाल्टी की राशि अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कचरा एवं गंदगी फैलाने वालों पर अर्थदण्ड/पेनाल्टी अधिरोपित करने का दर निर्धारित करने से संबंधित है, जो शहर में सफाई की व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORP.

सीता साहु
महापौर
पटना नगर निगम

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 128 के तहत ठोस कचरा प्रबंधन पर यूजर चार्ज लेने का प्रावधान है। पुन: बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 228 में कचरा एवं गंदगी फैलाने पर पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है।

ज्ञातव्य है कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जो बिहार अपशिष्ट प्रबंधन (Module) अधिनियम, 2018 तैयार किया गया है, उसमें भी यूजर चार्ज एवं पेनाल्टी की दर तय किये गये हैं एवं यह भी प्रावधान किया गया है कि नगर निकाय यदि चाहें तो उक्त दर में स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप बदलाव कर सकते हैं। (अनुसूची संलग्न)

इस कार्यालय का आदेश पत्रांक-5524, दिनांक-29.04.2019 के निम्न कंडिकावार कचरा एवं गंदगी फैलाने वालों पर अर्थदण्ड/पेनाल्टी अधिरोपित करते हुए प्रति घटना दण्ड शुल्क निर्धारित है:-

| क्र | विनियमन का विवरण | दण्ड शुल्क (रू0 में ) |
|---|---|---|
| 1. | गली एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड | प्रति घटना 300/- |
| 2. | दुकानदारों द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड | प्रति घटना 450/- |
| 3. | रेस्टुरेन्ट मालिक द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड | प्रति घटना 700/- |
| 4. | होटल मालिकों द्वारा सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड | प्रति घटना 1000/- |
| 5. | औद्योगिक संस्थानों द्वारा सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर कचड़ा डम्प करने पर दण्ड | प्रति घटना 2000/- |
| 6. | मिठाई विक्रेता, चाट, पकौड़ा, गोलगप्पा विक्रेता, फास्ट फुड स्टॉल, आईसक्रीम स्टॉल, गन्ना/फल विक्रेता, फल और सब्जी विक्रेता (सभी फुटपाथ पर ठेला विक्रेता) भोजनालय इत्यादि द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड | प्रति घटना 200/- |
| 7. | दुग्ध डेयरी (पशु पालकों) द्वारा गाय का गोबर एवं अन्य पदार्थ सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर रखने का दण्ड | प्रति घटना 500/- |
| 8. | सार्वजनिक स्थलों एवं सड़क का निर्माण सामग्री अथवा मलवा रखने पर दण्ड | प्रति घटना 1500/- |
| 9. | मांस विक्रेता एवं अण्डा विक्रेता द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पशु का खून, हड्डी, पंख, चर्म, अण्डा अन्य पदार्थ रखने पर दण्ड | प्रति घटना 1000/- |

महापौर
पटना नगर निगम

उल्लेखनीय है कि पटना नगर निगम के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण तथा शहर को चकाचक रखने हेतु कई प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कचरा को अन्यत्र फेंकने वालों के विरूद्व अर्थदण्ड/पेनाल्टी की राशि 5,000/– (पाँच हजार) रूपया दण्ड अधिरोपित करने की आवश्यकता है, ताकि शहर में सफाई की व्यवस्था बनी रहे। पेनाल्टी की वसूली बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 228 के प्रावधानों के अनुरूप सफाई निरीक्षक के द्वारा की जायेगी, जिसपर सशक्त स्थायी समिति से स्वीकृति प्राप्त कर निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम क्षेत्र में स्वच्छता सर्वेक्षण एवं चकाचक पटना एवं सुन्दर पटना बनाये रखने के लिए अतिक्रमणकारियों एवं ठोस कचरा प्रबंधन के कार्य के तहत दण्ड लगाना आवश्यक है। लोग कचरा को यत्र-तत्र फेंकते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। यह प्रस्ताव निगमहित में इसे पारित किया जाय।

श्री विनय कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जिन लोगों के द्वारा सड़कों, गलियों और नालियों में गोबर का ढेर बहाया है, उनपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री राजकुमार गुप्ता :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-118 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कचरा को अन्यत्र फेंकने वालों के विरूद्व अर्थदण्ड/पेनाल्टी अधिरोपित करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। अर्थदण्ड/पेनाल्टी अधिरोपित करने की सूची निम्नवत् है :-**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

| क्र | विनियमन का विवरण | दण्ड शुल्क (रू0 में ) |
|---|---|---|
| 1. | गली एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड | प्रति घटना 300/- |

महापौर

| | | |
|---|---|---|
| 2. | दुकानदारों द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड | प्रति घटना 450/- |
| 3. | रेस्टुरेन्ट मालिक द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड | प्रति घटना 700/- |
| 4. | होटल मालिकों द्वारा सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड | प्रति घटना 1000/- |
| 5. | औद्योगिक संस्थानों द्वारा सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर कचड़ा डम्प करने पर दण्ड | प्रति घटना 2000/- |
| 6. | मिठाई विक्रेता, चाट, पकौड़ा, गोलगप्पा विक्रेता, फास्ट फूड स्टॉल, आईसक्रीम स्टॉल, गन्ना/फल विक्रेता, फल और सब्जी विक्रेता (सभी फुटपाथ पर ठेला विक्रेता) भोजनालय इत्यादि द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दण्ड | प्रति घटना 200/- |
| 7. | दुग्ध डेयरी (पशु पालकों) द्वारा गाय का गोबर एवं अन्य पदार्थ सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर रखने का दण्ड | प्रति घटना 500/- |
| 8. | सार्वजनिक स्थलों एवं सड़क का निर्माण सामग्री अथवा मलवा रखने पर दण्ड | प्रति घटना 1500/- |
| 9. | मांस विक्रेता एवं अण्डा विक्रेता द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पशु का खून, हड्डी, पंख, चर्म अण्डा अन्य पदार्थ रखने पर दण्ड | प्रति घटना 1000/- |

मद संख्या-20:- **कदमकुआँ सब्जी मंडी में जी+2 वेन्डिंग जोन का निर्माण के लिए शेष राशि के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **वेन्डिंग जोन का निर्माण के लिए शेष राशि के संबंध में, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के बांकीपुर प्रमंडल अंतर्गत कदमकुआं में **G+2** वेंडिंग जोन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने के बाद आसपास के सभी Footpath Vendors को इसमें जगह दी जाएगी । यहाँ एक अत्याधुनिक एवं सभी आधारभूत सुविधाओं से लैस वेन्डिंग जोन बनाने का प्रस्ताव है। इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। निगम पर्षद की द्वितीय साधारण बैठक में (बजट वर्ष 2024-25, दिनांक- 09.03.2024 को) Construction of Vending Zone G+2 at Kadamkuan हेतु UDHD/Nagrika Suvidha मद से बजट कर प्रावधान किया गया है। परन्तु विभाग के पत्र संख्या- 320, दिनांक-20.12.2023 द्वारा विभाग से आवंटित की जाने वाली राशि शून्य दर्शाया गया है।

अतः विभाग से राशि अब उपलब्ध नहीं कराया गया है। ज्ञातव्य है कि कदमकुआँ वेन्डिंग जोन को शीघ्र पूर्ण करने का माननीय उच्च न्यायालय, पटना से न्यायादेश पारित है तथा इसके निर्माण कार्य की माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस कार्य के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.- 9292/2021 के द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है। तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में कार्य पूर्ण कराने हेतु शेष राशि-

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

1,64,25,699.00 (एक करोड़ चौसठ लाख पच्चीस हजार छः सौ निन्यानबे हजार) रूपये मात्र का भुगतान/आवंटन निगम मद से करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति से पारित कर निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्री मनोज कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम के बांकीपुर प्रमंडल अंतर्गत कदमकुआं में **G+2** वेंडिंग जोन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने के बाद आसपास के सभी **Footpath Vendors** को इसमें जगह दी जाएगी । यह एक अत्याधुनिक एवं सभी आधारभूत सुविधा से लैस वेन्डिंग जोन बनाने का प्रस्ताव है। इस वेंडिंग जोन का कार्य पूरा होने पर सड़कों पर सब्जी बेचने वाले सड़क पर बैठकर सब्जी नहीं बेच पायेंगे। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनय कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, कदम कुआँ सब्जीमंडी में में **G+2** वेंडिंग जोन का निर्माण हुआ है वह काफी अच्छा है। परन्तु मेरा सुझाव है इस तरह का वेंडिंग जोन अन्य स्थानों पर भी बनाने की आवश्यकता है। कदम कुआँ में सब्जीमंडी वेंडिंग जोन बनने के बाद यह ध्यान होगा कि कोई भी वेंडर सड़क पर दुकान नहीं लगाये।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :– माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कदम कुआँ मे सड़क पर लगा रहे वेंडर को वेंडिंग जोन में शिफ्ट कराया जाएगा।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :– माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या -119 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कदमकुआँ सब्जी मंडी में जी+2 वेन्डिंग जोन का निर्माण माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्य पूर्ण कराने हेतु शेष राशि– 1,64,25,699.00 (एक करोड़ चौसठ लाख पच्चीस हजार छः सौ निन्यानबे हजार) रूपये मात्र का भुगतान/आवंटन निगम मद से करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-21 :- **गैर आवासीय सम्पत्तियों के वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण में गुणकों को प्रभावी करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- गैर आवासीय सम्पत्तियों के वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण में गुणकों को प्रभावी करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त:- बिहार नगरपालिका संपत्ति कर( निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावल, 2013 के नियम में गैर आवासीय संपत्ति कर के निर्धारण के लिए वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित गुणकों के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है :-

| गैर–आवासीय कर के प्रकार | गुणक |
|---|---|

महापौर
पटना नगर निगम

| | | |
|---|---|---|
| i | होटल, बार, हेल्थ क्लब,जिमनाजियम,क्लब, विवाह–हॉल | 3 |
| ii | दुकान (250 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले) | 1 |
| iii | दुकान (iiके अतिरिक्त), शो–रूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, बार, मल्टीप्लेक्स, औषधालय, प्रयोगशाला, रेस्तरां, अतिथिशाला | 1.5 |
| iv | वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम | 3 |
| v | उद्योग, कार्यशाला, गोदाम, वेयर हाउस | 2 |
| vi | राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यक, व्यावसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हैं। | 2 |
| vii | सभी प्रकार के कोचिंग क्लासेज, गाईडेंस एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं उनके छात्रावास | 1.5 |
| viii | राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय जो वाणिज्यक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान उपक्रम नहीं है। | 1 |
| ix | निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी शोध संस्थान, अन्य निजी शैक्षिक संस्थान एवं उनके छात्रावास | 1.5 |
| x | सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केन्द्र एवं संस्थाएँ | 0 |
| xi | निर्धन, शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं तथा बच्चों के लाभार्थ पूर्त न्यासों न लाभ–हानि के आधार पर संचालित शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान। | 1 |
| xii | (i) से (x) तक के अधीन अनाच्छादित कोई अन्य धृति | गुणक 1.5 होगा |

उक्त नियमावली के अनुसार नियम 4 के प्रावधान नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे। इस प्रस्ताव पर निर्णय हेतु निगम पर्षद के समक्ष रखा गया है।

**डा0 आशीष कु0 सिन्हा** :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह बात सही है कि सम्पत्ति कर के वार्षिक मूल्यांकन में कई वर्षों से वृद्धि नहीं हुआ है। इस संबंध में कुछ सदस्यों की मंत्री महोदय से बात हुई है। चुकी यह प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है।

इस प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति से स्वीकृति प्राप्त कर निगम पर्षद के समक्ष विचार/विमर्श हेतु रखा गया है।

**श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी** :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पिछले सशक्त स्थायी समिति के बैठक में यह विषय आया था सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को विमर्श हेतु निगम पर्षद के समक्ष रखा जाय।

प्रस्ताव संख्या-120:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गैर आवासीय संपत्ति कर के निर्धारण के लिए वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण के संबंध में सरकार को अनुशंसा भेजा गया है, जो अभी अप्राप्त है, सरकार से आदेश प्राप्त होने के बाद इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा।**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

तालिका में अंकित गुणकों निम्नवत् है :-

| क्र. संख्या | गैर-आवासीय कर के प्रकार | गुणक |
|---|---|---|
| i | होटल, बार, हेल्थ क्लब,जिमनाजियम,क्लब, विवाह-हॉल | 3 |
| ii | दुकान (250 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले) | 1 |
| iii | दुकान (iiके अतिरिक्त), शो-रूम, शोपिंग मॉल, सिनेमा बार, मल्टीप्लेक्स, औषधालय, प्रयोगशाला, रेस्तरां, अतिथिशाला | 1.5 |
| iv | वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम | 3 |
| v | उद्योग, कार्यशाला, गोदाम, वेयर हाउस | 2 |
| vi | राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यक, व्यावसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हैं। | 2 |
| vii | सभी प्रकार के कोचिंग क्लासेज, गाईडेंस एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं उनके छात्रावास | 1.5 |
| viii | राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय जो वाणिज्यक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान उपक्रम नहीं है। | 1 |
| ix | निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी शोध संस्थान, अन्य निजी शैक्षिक संस्थान एवं उनके छात्रावास | 1.5 |
| x | सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केन्द्र एवं संस्थाएँ | 0 |
| xi | निर्धन, शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं तथा बच्चों के लाभार्थ पूर्त न्यासों न लाभ-हानि के आधार पर संचालित शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान। | 1 |
| xii | (i) से (x) तक के अधीन अनाच्छादित कोई अन्य धृति | गुणक 1.5 होगा |

मद संख्या-22 :- **पटना नगर निगम में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत प्रत्येक दैनिक कर्मी की व्यक्तिगत संचिका खोलने हेतु सेवा अभिलेख संधारित करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत प्रत्येक दैनिक कर्मी की व्यक्तिगत संचिका खोलने हेतु सेवा अभिलेख संधारित करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत प्रत्येक दैनिक कर्मी की व्यक्तिगत संचिका खोलने हेतु सेवा अभिलेख संधारित करने से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी संगठन द्वारा पटना नगर निगम में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत प्रत्येक दैनिक कर्मी की व्यक्तिगत संचिका खोलने की मांग की जा रही है। जिसके आलोक में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मियों का सेवा अभिलेख संधारित करने हेतु निम्नलिखित प्रारूप तैयार किया गया है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मियों का विवरण

1. कार्यालय का नाम :
2. कर्मी का नाम :

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

3. पिता/पति का नाम :
4. जन्म तिथि :
5. वर्तमान पता :
6. स्थायी पता :
7. निगम में कार्य प्रारंभ करने की तिथि :
8. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र :
9. जाति/श्रेणी :
10. आधार कार्ड संख्या :
11. पैन कार्ड संख्या (यदि हो तो) :
12. बैंक खाता संख्या (जिसमें पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा हो) :
13. बैंक का नाम एवं शाखा :
14. ई0पी0एफ0 खाता संख्या :
15. ई0एस0आई0सी0 खाता संख्या :
16. पारिवारिक विवरणी(नॉमिनी का नाम) :
17. कर्मी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान :

| दैनिक नियोजित कर्मी के अंगुलियों का छाप | | |
|---|---|---|
| | दायाँ | बायाँ |
| अंगूठा | | |
| तर्जनी | | |
| मध्यमा | | |
| अनामिका | | |
| कनिष्ठा | | |

निगम में कार्यरत दैनिक एवं संविदा पर कार्यरत कर्मियों के व्यक्तिगत डाटा अंकित करने हेतु उक्त प्रपत्र की स्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु निगम पर्षद के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, यह कर्मचारीहित का प्रस्ताव है, लेखा–जोखा रहने पर कर्मचारियों को काफी सुविधा होगी। इसे पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का प्रस्ताव अच्छा है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 121:- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मियों को व्यक्तिगत संचिका ( सर्विस बुक) खोलने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।</u>

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-23 :- **वार्ड संख्या-03 अन्तर्गत बिहार न्यूरो हॉस्पिटल के पीछे से शर्मा पथ को जोड़ने वाली पथ का नामकरण स्वर्गीय उषा देवी के नाम किये जाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नामकरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की 13वीं साधारण बैठक में वार्ड संख्या– 03 अंतर्गत बिहार न्यूरो हॉस्पिटल के पीछे से शर्मा पथ को जोड़ने वाली पथ का नामकरण स्व0 उषा देवी स्मृति पथ के नाम से करने का प्रस्ताव है। स्व० उषा देवी बहुत ही विनम्र एवं समाजसेवी महिला थी, जो स्थानीय निवासियों के लिए प्रेरणा की स्रोत थी। सामजिक कार्यकलापों मे उनकी सक्रिय भागीदारी एवं निवासियों को यथा सम्भव मदद करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। अतः स्थानीय निवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वार्ड संख्या– 03 अंतर्गत बिहार न्यूरो हॉस्पिटल के पीछे से शर्मा पथ को जोड़ने वाली पथ का नामकरण स्वर्गीय उषा देवी स्मृति पथ के नाम से करने हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति से पारित कर निगम पर्षद के समक्ष विमर्श/निर्णय हेतु रखा गया है।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :– माननीया अध्यक्ष महोदया, नामकरण का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति का विषय है। इसे निगम मे नही आना चाहिए। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–122– **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-03 अन्तर्गत बिहार न्यूरो हॉस्पिटल के पीछे से शर्मा पथ को जोड़ने वाली पथ का नामकरण स्वर्गीय उषा देवी के नाम किये जाने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या–24 :- वार्ड संख्या–02 के अन्तर्गत उच्च प्रवाह नल कूप अधिष्ठापन के संबंध में।

**श्री रवि प्रकाश** :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरा वार्ड ग्रामीण परिवेश की तरह है एवं नये-नये मकान बन रहे हैं। उस क्षेत्र में पेय जल की समस्या है। लेकिन बोरिंग के लिए संलेख नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि मेरे वार्ड में भी बोरिंग लगाया जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती पूनम शर्मा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरे वार्ड में लोग गोबर को नाले में बहाते हैं। जिसके कारण नाला जाम हो जाता है और जल-जमाव की समस्या होती है। मेरा सुझाव है कि गोबर को हटाया जाय।

श्रीमती संध्या यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना सिटी के बागजाफर खाँ घाट काफी पुराना है। दूर दराज से काफी संख्या में लोग दाह संस्कार के लिए आते है। वहाँ का सामुदायिक भवन काफी जर्जर है। उसे मरम्मत करायी जाय तथा शव दाह गृह का निर्माण कराया जाय।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, बागजाफर खान घाट में दाह संस्कार का कार्य वर्षो से चल रहा है। उसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। बागजाफर खाँ घाट पर दाह संस्कार के लिए काफी दूर-दूर से लोग आते है। वहाँ का सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार करना आवश्यक है तथा जनहित में शवदाह गृह का निर्माण भी कराया जाय।

डा0 आशीश कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ।

श्रीमती अंजली राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना सिटी क्षेत्र में अवस्थित गौ पालकों द्वारा मृत मवेशी को गंगा में बहा देते है। जिससे गंगा किनारे लोगो को नहाने में दिक्कत होती है। एवं काफी गंदगी होती है। मेरा सुझाव है कि मृत मवेशियों को जलाने के लिए शव दाह गृह का निर्माण कराया जाय।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि मृत मवेशियों को दाह संस्कार के लिए रामाचक बैरिया में शवदाह गृह बनाया गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना सिटी के आस-पास काफी संख्या में मवेशीपालक है। उन्हें रामाचक बैरिया शवदाह गृह में ले जाने में काफी असुविधा होती है। यही कारण है कि

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

लोग मृत पशु को गंगा में बहा देते है। अतएव मेरा सुझाव है कि पटना सिटी क्षेत्र में भी पशु शवदाह गृह बनाया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, बागजाफर खान घाट पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाय।

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम क्षेत्र में काफी संख्या में कब्रिस्तान हैं, कुछ कब्रिस्तान निजी हैं। इन सभी को पंजीकरण के दायरे में लाया जाय। कुछ दिन पहले कब्रिस्तान की सूची के साथ संलेख लाया गया था। उसकी समीक्षा कर पंजीकरण की कार्रवाई की जाय।

श्रीमती संध्या यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, एक करोड़ की योजना जो स्वीकृति दे देते है लेकिन राशि के आवंटन नहीं होने के कारण कार्य धरातल पर नहीं दिखता है।

श्री राज कुमार गुप्ता :- माननीया महापौर महोदया, जितनी भी योजनाओं की स्वीकृत्यादेश मिली है, उसके भुगतान नहीं होने के कारण कार्य बाधित है।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि नये एक करोड़ योजना के प्रशासनिक स्वीकृति हो जाने के बाद 50 प्रतिशत राशि सुरक्षित रखा गया है। किसी भी तरह के कार्य में दिक्कत नहीं होगी। जहाँ राशि की कमी होगी निगम मद से भुगतान किया जाएगा।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सशक्त स्थायी समिति से जो भी योजना की स्वीकृति दे दी गयी है और उक्त योजना का काम पूरा हो गया है, उसकी राशि भेज दी जाय।

श्री जीत कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं जानना चाहता हूँ कि एक करोड़ रू0 की राशि से क्या-क्या काम करा सकते है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

डा0 आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया सदस्य एक करोड़ रू0 की राशि निगम मद से दिया जा रहा है। जिससे आप अपने वार्ड में कुछ भी काम करा सकते हैं।

श्री जीत कुमार :- नगर आयुक्त साहब, मेरे वार्ड की योजना के एक करोड़ रू0 की राशि से जमीन का क्रय कर लिया जाय।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि पटना में जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। मार्केट रेट पर जमीन का क्रय करना काफी मंहगा होगा?

श्री सतीश कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदया, योजना की संचिकाएँ एक टेबुल से दूसरे टेबुल पर जाने में काफी देर होती है। मेरा सुझाव है इस प्रक्रिया को सुचारू बनाया जाय।

श्री विनय कुमार, वार्ड सं0-54 :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड में गाड़ी नहीं पहुँचती है। कूड़ा कैसे उठेगा? गीला कचरा और सूखा कचरा अलग-अलग देना है। लेकिन जो गाड़ी आती है उसमें यह व्यवस्था नहीं है।

माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्डो से कूड़ा उठाने के लिए प्रत्येक वार्ड में 05-05 गाड़ी मिलनी चाहिए।

श्रीमती रीता रानी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जल-नल योजना के अन्तर्गत 05 करोड़ खर्च होने के बाद भी मेरे वार्ड के नागरिकों को पेय जल नहीं मिल रहा है। पाटलिपुत्र अंचल के सहायक अभियंता द्वारा मेरे वार्ड के कुछ सड़कों की सूची भेजी गयी है। जो मेरे समझ से बाहर है। बुडको और नमामि गंगे के द्वारा सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जो हादसा का कारण बन सकता है। लाईट क स्थिति भयावह है। लाईट लगाने की आवश्यकता है।

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

श्रीमती रानी कुमारी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जहाँ कचरा भारी मात्रा में है, उसका उठाव नहीं हो रहा है। क्रिश्चियन कॉलनी में कूड़ा काफी बिखरा रहता है। स्कूल के पास खटाल बना हुआ है, और सड़क पर गोबर पड़ा रहता है, जिसके कारण बच्चों को आने-जाने में असुविधा होती है।

महापौर
पटना नगर निगम

**श्री राहूल यादव :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरा सुझाव है जहाँ से कचरे का उठाव होता है। वहाँ पर चूने का छिड़काव किया जाय।

**श्रीमती किरण मेहता :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, हमारे वार्ड में ई-रिक्शा खराब है। जिस सेक्टर की गाड़ी खराब है, वहाँ से कूड़ा का उठाव नहीं हो पा रहा है।

**श्रीमती शोभा देवी :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड में कई खटाल है, जिसके कारण गोबर का जमाव होता है और खटाल वाले गोबर को नाले में बहा देते हैं।

**श्रीमती तरूणा राय :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, हमारे वार्ड में 10 फीट चौड़ा नाला है। लेकिन नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया है। जिसके कारण सफाई व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है।

**नगर आयुक्त :-** माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जिला पदाधिकारी, पटना से अतिक्रमण हटाने के संबंध में वार्त्ता हुई है। शीघ्र अतिक्रमण हटा दिया जाएगा।

**श्री सतीश कुमार :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरा क्षेत्र काफी बड़ा है और वहाँ से काफी कचरा निकलता है। मेरे वार्ड में सेक्टर बढ़ाने की आवश्यकता है।

**श्री विनय कुमार :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, अतिक्रमण से पटना नगर निगम का हर वार्ड त्रस्त है। इसपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। प्राय: देखा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने के बाद पुन: कुछ घंटों के बाद अतिक्रमणकारी उस जगह पर पुन: कब्जा कर लेते हैं। फ्रेजर रोड, स्टेशन गोलम्बर, गोरियाटोली होते हुए जी0पी0ओ0 गोलम्बर तक सबसे ज्यादा अतिक्रमण है। आम नागरिकों को पैदल चलना भी मुश्किल है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

**धन्यवाद।**

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

श्री ज्योति रंजन दास :- माननीया अध्यक्ष महोदया, हमारे वार्ड में जन्म मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने के लिए लगभग 05 से 07 किलोमीटर कार्यालय में जाना पड़ता है। जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती है। मैंने अपने वार्ड के सफाई पर्यवेक्षक के स्थानान्तरण के लिए अनुशंसा किया था। लेकिन अभी तक स्थानान्तरण नहीं हुआ है। न्यू अम्बेडकर कॉलनी जिसमें निगम का क्वाटर बना हुआ है और उसमें कर्मचारी रह रहें है। क्वार्टर की स्थिति काफी दयनीय है, इसकी मरम्मति कराई जाय। मेरे वार्ड में मुस्लिम आबादी है। रमजान का महिना ईद को ध्यान में रखते हुए, लाईट लगाने की व्यवस्था की जाय।

श्री कुमार संजीत - माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम क्षेत्र में पटना शहरी क्षेत्रों में वार्डों में मुख्यमंत्री नाली-गली निश्चय योजना के अधीन पथों गलियों के पूर्ण स्थापना/पुनः निर्माण कार्य का टेंडर प्रक्रिया चल रहा है तथा इसकी राशि 10910.52(एक सौ नौ करोड़ दस लाख बावन हजार रूपये) विभागीय पत्रांक-365, दिनांक-05.03.2025 के माध्यम से राशि विमुक्त करने का आदेश निर्गत है। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री समग्र योजना एवं प्रत्येक वार्ड में एक करोड़ कि योजना भी साथ-साथ चल रही है। मेरा सुझाव है कि पटना नगर निगम क्षेत्र में चल रही सभी योजना का स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति/ निगम पर्षद से लेना अतिआवश्यक है।

एवं पटना नगर निगम क्षेत्र में चल रहें अन्य विभागों के योजनाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य है ताकि योजनाओं को दोहरीकरण न हो।

श्री बिनोद कुमार - माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव को समर्थन करता हूँ। पटना नगर निगम से जो भी योजना किया जाना है उसकी स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद लेना आवश्यक तथा अन्य विभागों से निगम क्षेत्र में जो भी योजना किया जा रहा है, जिसका अनापत्ति प्रमाण-पत्र सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद से लेना अनिवार्य है। ताकि योजनाओं का दोहरीकरण नहीं हो सके।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

श्री विनय कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पिछले बोर्ड के बैठक में भी अपने बातों को रखा था कि कोई भी योजना का स्वीकृति बिना सशक्त स्थायी समिति /निगम पर्षद के नहीं किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

**श्री सतीश कुमार -** माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

**श्री कैलाश प्र0 यादव :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं भी माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

**श्री राजकुमार गुप्ता :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

**प्रस्ताव संख्या-123 :-** **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम द्वारा किसी भी तरह की योजना बिना सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद से स्वीकृति प्राप्त किये बिना नहीं कराया जाय एवं पटना नगर निगम क्षेत्र में अन्य विभागों से कराये जा रहें योजनाओं की स्वीकृति हेतु पटना नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

**श्री कुमार संजीत :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जानकारी मिली है कि पटना नगर निगम क्षेत्र में Amazing India द्वारा पार्किंग शुल्क की वसूली करने हेतु निगम द्वारा आदेश दिया गया है। मुझे जानकारी मिली है कि निगम प्रशासन द्वारा उसे वसूली रोकने हेतु आदेश निर्गत किया गया था।

उस आदेश के विरूद्व Amazing India द्वारा माननीया उच्च न्यायालय में अपील दायर किया। माननीय न्यायालय द्वारा निगम के आदेश को तत्काल आदेश को रद्द करते हुए Amazing India को पार्किंग शुल्क वसूली करने का आदेश दिया गया।

मेरा कहना है कि जब Amazing India को निगम क्षेत्र में वसूली करने का अधिकार सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद के स्वीकृति के बाद आदेश प्राप्त हुआ है। अतएव Amazing India द्वारा वसूली को रोकने हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद के समक्ष आना चाहिए था। इससे निगम की छवि धुमिल हुई है एवं आर्थिक क्षति भी हुआ है।

**श्री राजकुमार गुप्ता :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, यह निगमहित का प्रस्ताव है, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

महापौर
पटना नगर निगम

**श्री कैलाश प्र० यादव** :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जिस विषय का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद से पारित होता है। उसे रद्द करने या हटाने का प्रस्ताव भी सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद में आना चाहिए।

**श्रीमती किरण मेहता** :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-124 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Amazing India सहित ऐसा कोई भी निर्णय जो सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद से पारित हो, उसे रद्द करने का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद के समक्ष प्रस्ताव लाए बिना रद्द नहीं करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

**श्री कुमार संजीत** :- माननीया अध्यक्ष महोदया, श्री प्रसून सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता, रिटेनर, पटना नगर निगम जो विधि कार्य हेतु निगम पैनल में रखा गया था। श्री सिन्हा द्वारा माननीय न्यायालय में निगम पक्ष नहीं रखने के कारण निगम का कई वादो में हार हुई है। इस कारण उन्हें निगम के पैनल से हटा कर अधिवक्ताओं का नये पैनल के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था।

मैं जानना चाहता हूँ कि पुराने पैनल में शामिल श्री प्रसून सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता, रिटेनर, किस आधार पर कार्य कर रहें है। यह भी जानकारी मिली है कि इन पैनल में शामिल अधिवक्ताओं द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगम का पक्ष नहीं रखने के कारण निगम को पराजित होना पड़ा एवं आर्थिक क्षति हो रही है। मेरा स्पष्ट सुझाव है कि श्री प्रसून सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता, रिटेनर, को पैनल से मुक्त करते हुए नये पैनल में अनुभवी एव योग्य विद्वान अधिवक्ताओं को रखा जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

**श्री सतीश कुमार** :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-125 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री प्रसून सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता, रिटेनर, पटना नगर निगम को निगम की सेवा से मुक्त कर अधिवक्ताओं के नए पैनल के गठन के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अध्यक्ष :- बैठक में भाग लेने के लिए सभी माननीया/माननीय सदस्यों, नगर आयुक्त एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की जाती है।

(सीता साहू)
अध्यक्ष
पटना नगर निगम, पटना।

प्रतिलिपि :- माननीया महापौर/ माननीय उप-महापौर/ सभी माननीया/ माननीय पार्षद / नगर आयुक्त/ सभी संबंधित पदाधिकारी,मुख्यालय, सभी कार्यपालक पदाधिकारी/अभियंता, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर सचिव,
पटना नगर निगम,पटना।